25.3.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक व अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC का जवाब पेश नहीं कर सिधी बहस करने का निवेदन किया। प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक श्री संदीप पाटीदार द्वारा अपनी बहस में बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 01 लोक सेवक है। वाद दर्ज करने से पुर्व 80 CPC का नोटिस दिया जाना चाहिए था यदि वाद तत्काल अनुतोषो का हो तो 80(2) CPC के तहत नोटिस से छुट ली जाती थी किन्तु इस प्रकृया का पालन नहीं किया गया है। तथा वाद ग्रस्त भूमि का आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा किया गया है। अतः इसे खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। साथ ही वाद ग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु. आबादी दर्ज रिकॉर्ड होने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होना बताया। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी कि भूमि एवं रास्ते के बिच में उक्त वाद ग्रस्त भूमि के सर्वे नम्बर आ रहे है जो मौके पर नाले के रूप में काम आ रही है। इसलीये वाद ग्रस्त भूमि के आवंटन को खारिज कर पुनः नाले रुप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से पेश [illegible] प्रार्थना-पत्र 17 माहीं कॉम. एक्ट तथा संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात आया की उक्त भूमि

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

का ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु आवंटन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा किया गया है। तथा उक्त भूमि किस्म आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा आबादी भूमि के वाद सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से अप्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC स्वीकार किया जाता है। तथा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 17 माही कॉल: एक्ट को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.3.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.04.17 11:13:15 IST
Reason: SelfAttested